

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 257/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी., एलआईसी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस,
अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स कविता फ़ैब्रिक्स प्रो. श्री दीपक ननकानी पुत्र श्री उदयचन्द ननकानी
(अ) दुकान नं. 239, द्वितीय फ्लोर, धूला हाऊस, बापू बाजार, जयपुर (राज.)
(ब) प्लॉट नं. 59-बी, जगदम्बा कॉलोनी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and enforcement of
security interest Act. 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.03.2021

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17/03/2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स कविता फ़ैब्रिक्स प्रो. श्री दीपक ननकानी पुत्र श्री उदयचन्द ननकानी का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टॉर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सण्डी डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्वोरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 17/03/2016 में विस्तृत रूप से परिभाषित) को बन्धक कर रु. 5,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31/01/2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध किया है।



तल
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुये।

3. बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 5,00,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल रु. 5,28,993/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगणों को दिनांक 27/01/2020 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।


5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स कविता फैंब्रिक्स प्रो. श्री दीपक ननकानी पुत्र श्री उदयचन्द ननकानी का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सण्डी डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इन्व्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांकित 17/03/2016 में विस्तृत रूप से परिभाषित) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने मे सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

7. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




9/3/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर